न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 171/17 **निर्णय दिनांकः—03.10.2018**

1. चरण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी लालावाली हाल चक 2 के.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. अमराराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28—03—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री मलिक अली खान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28—03—2017 जिसके द्वारा अपीलांट की रिकार्डशुदा भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नियमन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट के दादा स्व. ईश्वर सिंह पुत्र बाकर सिंह को बतौर क्लेम ऑलोटी के रूप में पुर्नवास विभाग द्वारा दिनांक 27—04—1974 को वाके चक 2 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 37/35 के किला नम्बर 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा जिसका आवंटन आदेश दिनांक 27—04—1974 को ही जारी कर दिया गया था। आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का इंतकाल संख्या 10 दिनांक 29—08—1989 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के दादा का नाम दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी संवत् 2045 से निरन्तर आज दिनांक तक अपीलांट के दादा का नाम चला आ रहा है। वादगत् भूमि पर बतौर वारिसान आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त रकबा दिनांक 28—03—2017 को बाले—बाले रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करते हुए वादगत् भूमि के नियमन के आदेश जारी करवा लिये गये। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी करने की तमाम कार्यवाही गलत व अवैद्य तरीके से की गई है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व नाजायज काश्त की रिपोर्ट की गई, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों को ताक पर रखते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर पुर्नवास आवंटित भूमि है। जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में सामान्य आवंटी के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन

नियमों की अवहेलना करते हुए ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है तो पूर्व में अपीलांट के पूर्वजों को आवंटित/कब्जे काश्त की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 2 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 37/35 के किला नम्बर 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा भूमि का नियमन अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। उक्त भूमि के नियमन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट तलब किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 276 दिनांक 27—02—2015 के माध्यम से वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के नियमन से पूर्व तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व की गई तमाम कार्यवाहियों का भी अवलोकन किया गया।

वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि आराजी जैर कमाण्ड भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज (निष्क्रान्त भूमि) दर्ज है। इसी क्रम में उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया है कि उपरोक्त भूमि अमराराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार के वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जे काश्त में है तथा अमराराम पुत्र पेमाराम का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा मौके पर ढाणी बनाकर परिवार सहित आबाद है, अमराराम व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नाजायज काश्त कर रखी है। इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट से साबित है कि रेस्पोडेन्ट् का वादगत् भूमि पर वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् निरन्तर कब्जा काश्त होने पर राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975) के उपनियम 21 (क) के अन्तर्गत नियमन हेतु समस्त शर्ते भूमि करने की दशा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29—11—2016 के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में रेस्पोडेन्ट के नियमन की पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात् वादगत् भूमि पर वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर वादगत् भूमि के नियमन की अनुशंसा की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा वागगत् भूमि के नियमन के पश्चात् प्रथम किश्त की राशि 3,07,280/— खजानाराज में जमा करवा दी गई है।

जहॉ तक वादगत् भूमि के अपीलांट के बतौर पुर्नवास आंवटन का प्रश्न है, उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा वर्ष 1990 में ही खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त खारिज आदेश अन्तिम हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि ऐसी कोई भी अपील जोकि मियांद बाहर प्रस्तुत की जा रही है, के साथ मियांद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अपूर्ण अपील की परिभाषा में आती है। अतः उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 697 व आरआरडी 1999 पेज 98 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 2 केएम के मुरब्बा नम्बर 37/35 की 11 बीघा भूमि के नियमन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट के दादा स्व. ईश्वर सिंह पुत्र बाकर सिंह को बतौर क्लेम ऑलोटी के रूप में पुर्नवास विभाग द्वारा दिनांक 27—04—1974 को वाके चक 2 के. एम. के मुरब्बा नम्बर 37/35 के किला नम्बर 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा जिसका आवंटन आदेश जारी करने के उपरान्त इंतकाल संख्या 10 दिनांक 29—08—1989 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के दादा का नाम दर्ज किया गया व वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(3) इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट के दादा को वादगत् भूमि का आवंटन पुर्नवास विभाग द्वारा दिनांक 27—04—1974 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 475 दिनांक 04—04—1990 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई चाराजोई सक्षम न्यायालय में की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त खारिजी आदेश आज दिनांक को अन्तिम आदेश हो चुका है। लिहाजा अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि पर उसके हक व हकूक होने के कारण आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

(4) प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नियमन आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमने

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के नियमन आदेश जारी करने से पूर्व आराजी जैर के बाबत् संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आराजी जैर कमाण्ड भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज (निष्क्रान्त भूमि) दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि अमराराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार के वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जे काश्त में है तथा अमराराम पुत्र पेमाराम का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा मौके पर ढाणी बनाकर परिवार सहित आबाद है, अमराराम व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नाजायज काश्त कर रखी है। इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट से साबित है कि रेस्पोडेन्ट् का वादगत् भूमि पर वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(5) इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है कि निष्क्रान्त भूमि का नियमन करने का अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं है। यदि नियम 21—क के तहत तभी किया जा सकता है जब ऐसे अतिचारी का दिनांक 01—01—2000 से पूर्ववर्ती सात वर्षो के दौरान न्यूनतम पॉच वर्ष तक अतिचारित भूमि पर कब्जा रहा हो और दिनांक 01—01—2000 से अभी तक लगातार कब्जा रहा हो।

(6) इस संबंध में चूंकि संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त आपत्ति को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व पुनर्वास विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ—1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06—10—2009 की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि पुनर्वास विभाग को समाप्त किया जाये तथा समस्त ऐसी निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवंटन नहीं किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की भूमियों का निस्तारण राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग अपने नियमों

के तहत करेगा। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें वादगत् भूमि निष्क्रान्त आराजीराज दर्ज रिकार्ड है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने व वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जा काश्त होने के आधार पर नियमन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975) के उपनियम 21 (क) के अन्तर्गत नियमन हेतु समस्त शर्ते भूमि करने की दशा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29—11—2016 के समक्ष प्रस्तुत करने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि पर वर्ष 1990 से निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर वादगत् भूमि के नियमन की अनुशंसा की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के नियमन पश्चात् प्रथम किश्त की राशि रूपये 3,07,280/— खजानाराज में जमा करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि के नियमन के आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—03—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर